छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

खण्ड - 8

जुलाई, 2016 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को सदन में प्रस्तुत)

राजनांदगांव
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
2016

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-7 "प्रश्न" में नियम क्रमांक 28 से नियम क्रमांक 50 तक सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्राह्यता की शर्तें और सभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किये गये हैं.

प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है. इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह भी स्थापित हो चुका है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता. इसके साथ ही जब एक बार प्रश्न अध्यक्ष के द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है, तब शासन के लिए उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बंधनकारी होता है. अपवाद स्वरूप कभी-कभी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि शासन के लिए यह संभव न हो कि वह निर्धारित अवधि में प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराए. ऐसी परिस्थिति में भी शासन के संबंधित विभाग को यह तो सूचित करना ही पड़ता है कि-"जानकारी एकत्रित की जा रही है".

इस संकलन में जुलाई, 2016 सत्र की बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों तथा पुनरीक्षित उत्तरों को मुद्रित कराया गया है.

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्ठक [............] के अंदर मुद्रित है. इस संकलन में खेल एवं युवक कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, महिला एवं बाल विकास तथा पर्यटन विभाग के प्रश्न तथा यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एवं प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित किए गए हैं.

रायपुर,

दिनांक : 04 नवम्बर, 2016

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जुलाई, 2016 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1-3
2.	जुलाई, 2016 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	4-6
3.	जुलाई, 2016 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची.	7-41

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2016 सत्र के प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

जिला महासमुंद में खेल एवं युवा कल्याण मद की व्यय राशि के संबंध में

1. (क्र. 270) **श्री रामलाल चौहान :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में खेल एवं युवा कल्याण मद से वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में दिनांक 31-03-2016 की अवधि तक कितनी-कितनी राशि खेलकूद, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार, वर्षवार बतायें. (ख) उक्तावधि में स्वीकृत राशि का व्यय किस-किस मद से किया गया है ? वर्षवार, विकासखंडवार आयोजन स्तरवार बतायें ? (ग) उक्तावधि में महासमुंद जिले में कितने खिलाड़ियों को किन-किन खेलों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु चयन हुआ ? वर्षवार, खेलवार बतावें.

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में स्टेडियम एवं मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है. वर्ष 2013-14 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये खेल कूद हेतु रु. 72000/- एवं वर्ष 2015-16 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये खेल कूद हेतु रु. 264200/- स्वीकृत किये गये हैं. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय खेल आयोजन हेतु वर्ष 2013-14 के लिए रु. 605310/- एवं वर्ष 2015-16 में जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजन के लिए रु. 1698860/- स्वीकृत किए गए हैं. (ख) स्वीकृत राशि का व्यय वर्ष 2013-14 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये विकासखंड स्तरीय मैराथन दौड़, विकासखंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिये आयोजन मदों में तथा वर्ष 2015-16 में विकासखंड स्तरीय मैराथन दौड़, विकासखंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिये आयोजन मदों में किया गया है. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजन हेतु स्वीकृत राशि का व्यय खेल प्रशिक्षण शिविर, जिला स्तरीय मैराथन, जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, सिविल सेवा प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन एवं भागीदारी के लिए आयोजन मदों में किया गया है. (ग) वर्ष 2013-14 में कबड्डी के 04, हैण्डबॉल के 09, बेसबॉल का 01, भारोत्तोलन के 03, रस्साकसी के 02, बॉल बैडमिंटन के 02, वॉलीबाल का 01, खो-खो का 01 तथा वर्ष 2015-16 में हैण्डबॉल के 16, हॉकी के 07, बॉल बैडमिंटन के 03, टेनिस बॉल क्रिकेट का 01, फुटबॉल का 01, कबड्डी के 04, वालीबॉल के 03, फ्लोरबॉल के 02, सिलम्बम का 01, फुटबॉल टेनिस का 01, वेटलिफ्टिंग का 01, योग के 01 खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु हुआ है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

छत्तीसगढ़ प्रदेश से पलायन कर गये लोगों एवं उनके साथ जनित दुर्घटनाओं के बारे में

2. (क्र. 12) **श्री कवासी लखमा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग से वर्ष 2013 से मई 2016 तक कितने लोग पलायन कर गये हैं ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश से पलायन करके गये कितने लोगों की प्रदेश से बाहर विभिन्न दुर्घटनाओं में मौतें हुई है ? जिलेवार वर्षवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ग) मृतक परिवार के लोगों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें मुहैया करायी गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है] (क) बस्तर के विभिन्न जिलों से वर्ष 2013 से मई 2016 तक अधिक मजदूरी की तलाश में बाहर गये लोगों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 1 से 6 में दर्शाये अनुसार है. (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश से अधिक मजदूरी की तलाश में बाहर गये 12 लोगों की मृत्यु विभिन्न दुर्घटनाओं में हुई है. जिलेवार तथा वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 7 से 10 में दर्शाये अनुसार है. (ग) मृत व्यक्तियों के परिवार को शासन द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 11 एवं 12 में दर्शाये अनुसार है.

[पृथक् वितरित उत्तर]

---

† परिशिष्ट "एक"

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अमृत दूध का वितरण

3. (क्र. 1042) **श्री शंकर ध्रुवा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनबाड़ी केन्द्रों में अमृत दूध योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु वाले बच्चों को सप्ताह में कितनी बार कितनी मात्रा में दूध दिया जाना है ? (ख) प्रश्नांश "क" की योजना के प्रारंभ से कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है एवं उसमें कितनी राशि व्यय की गई है ? (ग) योजना के प्रारंभ के पश्चात से उक्त दूध के सेवन से कितने बच्चों के बीमार पड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई एवं उसकी जांच में क्या पाया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : [(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है.] (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में एक बार 100 मिलीलीटर दूध दिया जाना है. (ख) योजना प्रारंभ से 30 जून, 2016 तक औसत रूप से प्रतिमाह लगभग 391860 बच्चों को योजनांतर्गत लाभांवित किया गया है. इस पर 3,01,45,816/- रुपये (तीन करोड़ एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ सोलह रु.) की राशि व्यय हुई है. (ग) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध के सेवन से किसी बच्चे के बीमार पड़ने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई. अत: जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

[पृथक् वितरित उत्तर]

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए शुरू की गई अमृत दुध योजना के संबंध में

4. (क्र. 1147) **श्री भूपेश बघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए शुरू की गई अमृत दूध योजना के तहत दूध के आपूर्ति का ठेका किस प्रायवेट फर्म को, किन शर्तों पर, कब दिया गया है ? फर्म तथा फर्म के संचालक का नाम, पता बतावें. (ख) बच्चों को वितरित किये जाने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच (कंपनी के अंदर व वितरण के पूर्व) हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? (ग) उक्त फर्म द्वारा दिनांक 30 जून 2016 की स्थिति में कितनी मात्रा में दूध की आपूर्ति की जा चुकी है ? उक्त फर्म को कितना भुगतान किया जा चुका है ? तथा कितना भुगतान शेष है ? (घ) प्रदेश के आंगनबाड़ियों में प्रतिदिन दूध की खपत कितनी है ? जिलेवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : [(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है.] (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए शुरू की गयी अमृत दूध योजना के तहत दूध आपूर्ति का ठेका किसी प्रायवेट फर्म को नहीं दिया गया है. अत: शेष प्रश्नांश का उत्तर उपस्थित नहीं होता. (ख) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा प्रदायित दूध की गुणवत्ता की जांच दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग में स्थित प्लांट में एवं ग्राम-बुडेरा, पो.ऑ.-खरोरा, जिला-रायपुर के प्लांट में स्थापित प्रयोगशाला में प्रत्येक स्तर पर की जाती है. रेण्डम आधार पर भारत शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भी दुध की जांच कराई जाती है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा भी दूध के नमूनों की जांच की जाती है. (ग) 30 जून, 2016 की स्थिति में दूग्ध महासंघ द्वारा 331292 लीटर दूध की आपूर्ति की जा चुकी है. प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 3,01,45,816/- रुपये (तीन करोड़ एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ सोलह रु.) की राशि का भुगतान किया गया है, एवं 25,70,373/- रुपये (पच्चीस लाख सत्तर हजार तीन सौ तिहत्तर रु.) की राशि का भुगतान शेष है. (घ) आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध का वितरण प्रतिदिन नहीं किया जाता बल्कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 01 दिवस को, उस दिन उपस्थित बच्चों को ही 100 मि.ली. दूध प्रति बच्चे के मान से वितरण किया जाता है. अत: प्रतिदिन दूध की खपत नहीं होती है.

[पृथक् वितरित उत्तर]

मोटलों की जानकारी

5. (क्र. 669) **श्री अमरजीत भगत :** क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने मोटल है? उनमें से कितने संचालित है तथा कितने बंद है, जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में मोटलों के संचालन से विभाग को कितनी आय हुई है ? उक्तावधि में मोटलों के रखरखाव में कितना व्यय हुआ है ? वर्षवार जानकारी देवें ?

सहकारिता मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में कुल 16 मोटल है, उनमें से 02 पर्यटन मंडल द्वारा तथा 02 प्रबंधकीय अनुबंधकर्ता द्वारा के माध्यम से संचालित एवं 02 संबंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित तथा 10 बंद है, मोटल की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	मोटल का नाम (2)	जिला का नाम (3)	संचालन व बंद की स्थिति (4)
1.	चंदैनी गोंदा रिसॉर्ट, खपरी	दुर्ग	छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल संचालित

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गोरगा टूरिस्ट कॉटेज, तीरथगढ़	बस्तर	छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल संचालित
3.	पुन्नी टूरिस्ट रिसॉर्ट, राजिम	रायपुर	प्रबंधकीय अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित
4.	जवारा टूरिस्ट रिसॉर्ट, तुमड़ीबोड़	राजनांदगांव	प्रबंधकीय अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित
5.	पोंडूम टूरिस्ट कॉटेज, हारम	दंतेवाड़ा	कलेक्टर दंतेवाड़ा को हस्तांतरित
6.	धनकुल टूरिस्ट रिसॉर्ट, कोण्डागांव	कोण्डागांव	कलेक्टर कोण्डागांव को दिनांक 01-10-2015 से हस्तांतरित किया गया.
7.	कोडार टूरिस्ट कॉटेज, कांपा	महासमुंद	संचालन बंद
8.	पंडवानी टूरिस्ट कॉटेज, केन्द्री	रायपुर	संचालन बंद
9.	करमा टूरिस्ट कॉटेज, भाठागांव	धमतरी	संचालन बंद
10.	भरथरी टूरिस्ट रिसॉर्ट, सरगांव	बिलासपुर	संचालन बंद
11.	पंडो टूरिस्ट रिसॉर्ट, कोनकोना	कोरबा	संचालन बंद
12.	सरहूल टूरिस्ट रिसॉर्ट, चढ़िरमा	सरगुजा	संचालन बंद
13.	पोला टूरिस्ट रिसॉर्ट, चिरगुड़ा	कोरिया	संचालन बंद
14.	बासी तीतरा टूरिस्ट रिसॉर्ट, नथियानवागांव	कांकेर	संचालन बंद
15.	पंथी टूरिस्ट कॉटेज, कुलीपोटा	जांजगीर-चांपा	संचालन बंद
16.	चक्रधर टूरिस्ट कॉटेज, कोड़ातराई	रायगढ़	संचालन बंद

(ख) मोटलों के संचालन से विभाग को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में प्राप्त आय † संलग्न परिशिष्ट में है, एवं उत्तर "क" में दर्शित 16 मोटलों के रखरखाव में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में कोई राशि व्यय नहीं की गई है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

----

† परिशिष्ट "दो"

जुलाई, 2016 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या 02 (क्र. 12) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

पलायन कर गये लोगों एवं उनके साथ जनित दुर्घटनाओं की जानकारी

वर्ष 2013 से मई 2016 तक

क.	जिले/विभाग का नाम	पलायन किये गये व्यक्तियों की संख्या				वर्षवार मृतको की संख्या				दी गई सहायता राशि	विवरण
		2013	2014	2015	मई 2016	2013	2014	2015	मई 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बस्तर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	दंतेवाड़ा	0	10	18	16	0	0	0	0	0.00	
4	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	कोण्डागांव	0	0	76	0	0	0	2	0	0.00	
7	सुकमा	0	0	0	9	0	0	0	5	2000000.00	2 व्यक्तियों को 10–10 लाख रूपये सहाता दी गई, तथा दो व्यक्तियों के वारिशान प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान की कार्यवाही प्रकियाधीन है। श्री वेको देवा पिता जोगा निवासी नागारास विकासखण्ड सुकमा को आर्थिक सहायता हेतु सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर को प्रस्ताव भेजा गया है।
8	रायपुर					0	0	0	0	0.00	
9	महासमुंद					0	0	0	4		
10	धमतरी					0	0	0	0	0.00	
11	दुर्ग					0	0	0	0	0.00	
12	राजनांदगांव					0	0	0	0	0.00	
13	कबीरधाम					0	0	0	0	0.00	
14	बिलासपुर					0	0	0	0	0.00	
15	जांजगीर–चांपा					0	0	0	1		आर्थिक सहायता हेतु सचिव छ0ग0 भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर को प्रस्ताव भेजा गया है।

16	कोरबा					0	0	0	0	0.00	
17	रायगढ़					0	0	0	0	0.00	
18	जशपुर					0	0	0	0	0.00	
19	सरगुजा					0	0	0	0	0.00	
20	कोरिया					0	0	0	0	0.00	
21	गरियाबंद					0	0	0	0	0.00	
22	बलौदाबाजार					0	0	0	0		
23	बालोद					0	0	0	0	0.00	
24	बेमेतरा					0	0	0	0	0.00	
25	मुंगेली					0	0	0	0	0.00	
26	बलरामपुर					0	0	0	0	0.00	
27	सूरजपुर					0	0	0	0	0.00	
	योग	0	10	94	25	0	0	2	10	2000000.00	

परिशिष्ट "दो"

[प्रश्न संख्या 05 (क्र. 669) के भाग (ख) की जानकारी]

मोटलों के संचालन से विभाग को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में प्राप्त आय की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :—

क्र.	मोटल का नाम	जिला का नाम	वर्षवार आय (रू.में)		
			2013-14	2014-15	2015-16
01	चंदैनी गोंदा रिसॉर्ट, खपरी	दुर्ग	63,000	17,793	9,795
02	गोरगा टूरिस्ट कॉटेज, तीरथगढ़	बस्तर	दिनांक 01/06/2016 से संचालन प्रारंभ किया गया है।		
03	पुन्नी टूरिस्ट रिसॉर्ट, राजिम	रायपुर	2,29,167	2,50,000	2,50,000
04	जवारा टूरिस्ट रिसॉर्ट तुमड़ीबोड़	राजनांदगांव	3,20,000	3,20,000	3,20,000
05	धनकुल टूरिस्ट रिसॉर्ट, कोण्डागांव	कोण्डागांव	3,00,000	2,00,000	कलेक्टर कोण्डागांव को दिनांक 01.10.2015 को हस्तांतरित किया गया।
06	पोंडूम टूरिस्ट कॉटेज, हारम	दंतेवाड़ा	कलेक्टर दक्षिण बस्तर को हस्तांतरित		
07	कोडार टूरिस्ट कॉटेज, कांपा	महासमुंद	1,46521	1,79,923	1,50,599
08	पंडवानी टूरिस्ट कॉटेज, केन्द्री	रायपुर	2,00,000	1,80,000	—
09	करमा टूरिस्ट कॉटेज, भाठागांव	धमतरी	1,00,000	—	—
10	भरथरी टूरिस्ट रिसॉर्ट, सरगांव	बिलासपुर	2,00,000	68,889	—
11	पडो टूरिस्ट रिसॉर्ट, कोनकोना	कोरबा	—	—	—
12	सरहूल टूरिस्ट रिसॉर्ट, चढ़िरमा	सरगुजा	4,55,000	38,333	—
13	पोला टूरिस्ट रिसॉर्ट, चिरगुड़ा	कोरिया	1,40,833	68,357	—
14	बासी तीतरा टूरिस्ट रिसॉर्ट, नथियानवागांव	कांकेर	7,23,000	4,21,167	—
15	पंथी टूरिस्ट कॉटेज, कुलीपोटा	जांजगीर चांपा	—	—	—
16	चक्रधर टूरिस्ट कॉटेज, कोड़ातराई	रायगढ़	4,05,000	1,07,500	—
		कुल राशि रू.	32,82,521	18,51,962	7,30,394

जुलाई, 2016 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन/वक्तव्य तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	पृथक वितरित/ पुनरीक्षित/ संशोधन/वक्तव्य
1	11.7.16	ता. 23 (क्र–210)	ऊर्जा	संशोधन
2	11.7.16	ता. 2 (क्र–256)	ऊर्जा	संशोधन/वक्तव्य (दिनांक 19.7.16 को सदन में दिया गया)
3	11.7.16	अता. 14 (क्र–232)	खेल एवं युवा कल्याण	संशोधन
4	दिनांक 11 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			
5	12.07.16	ता. 2 (क्र–475)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
6	12.07.16	ता. 11 (क्र–484)	खाद्य	संशोधन
7	दिनांक 12 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			
8	13.07.16	ता. 3 (क्र–622)	वन	संशोधन
9	13.07.16	ता. 6 (क्र–696)	नगरीय प्रशासन एवं विकास	संशोधन
10	दिनांक 13 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			
11	15.07.16	ता. 1 (क्र–836)	लोक निर्माण	संशोधन
12	15.07.16	ता. 4 (क्र–807)	लोक निर्माण	संशोधन
13	15.07.16	ता. 8 (क्र–187)	लोक निर्माण	संशोधन
14	दिनांक 15 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			
15	18.07.16	ता. सं-- 2(क्र--1142)	ऊर्जा	संशोधन
16	दिनांक 18 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			
17	19.07.16	ता. सं–11(क्र–1066)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
18	19.07.16	ता. सं–14(क्र–1076)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
19	दिनांक 19 जुलाई, 2016 से संबंधित शुद्धि पत्र			

प्रश्नो के उत्तर में संशोधन पढ़ने का प्रारूप–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 11 जुलाई 2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ 08 में मुद्रित तारांकित प्रश्न सरल क्रमांक 23 (क्रमांक 210) के उत्तर के भाग–क से संबंधित प्रपत्र–अ में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग(क) से संबंधित परिशिष्ट "चौदह" (पृष्ठ 88) के प्रपत्र–अ को पूर्णतः विलोपित करते हुए कृपया संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र–अ पढ़ा जावे।

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
भारसाधक मंत्री, ऊर्जा

पुनरीक्षित प्रपत्र–अ

राज्य में बीपीएल/एपीएल परिवारों तथा सिंचाई पम्प, हेतु कनेक्शन जारी करने के लिए दिनांक 01 जुलाई 2016 से देय शुल्क की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	दी जा रही सुविधा	देय भुगतान का विवरण
01.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से प्रचलित)	विद्यमान लाइन से 30 मीटर दूरी तक बीपीएल कनेक्शन निःशुल्क	कोई भुगतान देय नही।
02.	मुख्यमंत्री मजरा/टोला विद्युतीकरण योजना	विद्यमान लाइन से 30 मीटर दूरी तक बीपीएल कनेक्शन निःशुल्क	कोई भुगतान देय नही।
03.	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	विद्यमान लाइन से 30 मीटर दूरी तक बीपीएल कनेक्शन निःशुल्क	कोई भुगतान देय नही।
04.	एपीएल घरेलू कनेक्शन	ऐसे आवेदन जिसमें कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार आवश्यक नहीं है, अधिकतम 7 दिवस में कनेक्शन.	(1)सिंगल फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस रुपये 500/– (2)थ्री फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस, अ–25 एचपी भार तक रुपये 875/– ब़– 25 एचपी से अधिक भार पर रुपये 900/– प्रति कनेक्शन। (3)सप्लाई एफोर्डिंग चार्जेस – एक किलोवाट भार तक रुपये 500/– तथा एक किलोवाट से अधिक भार पर रुपये 500/– प्लस प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट या अंश पर रुपये 1,000/– प्रति किलोवाट के मान पर। (4)एग्रीमेंट हेतु स्टाम्प शुल्क रुपये 51/– (5)सुरक्षा निधि के मद में रुपये 1100/– प्रति किलोवाट के मान से।

क्रमांक	योजना का नाम	दीं जा रही सुविधा	देय भुगतान का विवरण
04.	एपीएल घरेलू कनेक्शन	ऐसे आवेदन जिसमें कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार आवश्यक है, में एक्सटेंशन हेतु दूरी आधारित भुगतान की सुविधा।	(1)लाइन विस्तार हेतु पहले 100 मीटर तक रुपये 50/– प्रति मीटर तथा 100 मीटर से अधिक अंश के एक्सटेंशन रुपये 100/– प्रति मीटर के मान से। (2)सिंगल फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस रुपये 500/– (3)थ्री फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस, अ–25 एचपी भार तक रुपये 875/– ब– 25 एचपी से अधिक भार पर रुपये 900/– प्रति कनेक्शन। (4)सप्लाई एफोर्डिंग चार्जेस – एक किलोवाट भार तक रुपये 500/– तथा एक किलोवाट से अधिक भार पर रुपये 500/– प्लस प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट या अंश पर रुपये 1,000/– प्रति किलोवाट के मान पर। (5)एग्रीमेंट हेतु स्टाम्प शुल्क रुपये 51/– (6)सुरक्षा निधि के मद में रुपये 1100/– प्रति किलोवाट के मान से।
05.	सिंचाई पम्प ऊर्जीकरण की योजना	ऐसे आवेदन जिसमें कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार आवश्यक नहीं है, में निर्धारित शुल्क के भुगतान उपरांत कनेक्शन की सुविधा.	(1)सिंगल फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस रुपये 500/– (2)थ्री फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस, अ–25 एचपी तक रुपये 875/– ब–25 एचपी से अधिक रुपये 900/– (3)एग्रीमेंट हेतु स्टाम्प शुल्क रुपये 51/– (4)सुरक्षा निधि के मद में रुपये 150/– प्रति एचपी।
		ऐसे आवेदन जिसमें कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार आवश्यक है, में 75 हजार तक लाइन विस्तार निःशुल्क। लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान उपरांत कनेक्शन की सुविधा.	(1)सिंगल फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस रुपये 500/– (2) थ्री फेज़ हेतु सर्विस कनेक्शन चार्जेस, अ–25 एचपी तक रुपये 875/– ब–25 एचपी से अधिक रुपये 900/– (3)एग्रीमेंट हेतु स्टाम्प शुल्क रुपये 51/– (4)सुरक्षा निधि के मद में रुपये 150/– प्रति एचपी। (5)लाइन विस्तार में रुपये 75 हजार से अधिक व्यय होने पर आधिक्य की राशि।

मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

विधानसभा में दिनांक 11 जुलाई 2016 को प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न सरल क्रमांक 02 (क्रमांक 256) द्वारा श्री टी0एस0 सिंहदेव पर चर्चा के समय उक्त प्रश्न के प्रपत्र–अ और प्रपत्र–ब में दी गई जानकारी में हुई त्रुटि पर वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विगत दिनांक 11 जुलाई 2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ–01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न सरल क्रमांक 02 (क्रमांक 256) के उत्तरांश क और ख के प्रपत्र–अ और प्रपत्र–ब में हुई टंकण त्रुटि पर, मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ , जो निम्नानुसार है:–

प्रश्नोत्तर पुस्तिका के पृष्ठ–34 में मुद्रित परिशिष्ट–दो के प्रपत्र–अ (पृष्ठ–34) के तालिका के कॉलम–8 में मुद्रित "एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेड से" के स्थान पर "एनटीपीसी सेल से" पढ़ा जाए,

प्रश्नोत्तर पुस्तिका कइदउे पृष्ठ–34 में मुद्रित परिशिष्ट–दो के प्रपत्र–ब (पृष्ठ–35) के तालिका में सरल क्रमांक–5 के समक्ष मुद्रित "एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेड से" के स्थान पर "एनटीपीसी सेल से" पढ़ा जाए,

और उक्त प्रश्न पर चर्चा के दौरान इस संबंध में जहां भी "एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेड से" का उपयोग हुआ है के स्थान पर "एनटीपीसी सेल से" प्रतिस्थापित किया जाए।

डॉ0 रमन सिंह
मुख्यमंत्री
भारसाधक मंत्री ऊर्जा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 19 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 232) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' एवं 'ख' से संबंधित परिशिष्ट ''बत्तीस'' के प्रपत्र 'अ' के ''वर्ष 2015-16'' की तालिका में मुद्रित पंक्ति

1	2	3	4
ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	200000	विकासखण्ड ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजन	200000

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जावे ।

1	2	3	4
ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	175000	विकासखण्ड ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन	175000

शेष मुद्रित जानकारी यथावत पढ़ी जावे।

भईया लाल राजवाड़े
मंत्री, छ.ग. शासन
श्रम, खेल एवं युवा
कल्याण
एवं जनशिकायत निवारण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 11 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. 06 (क्र. 25) प्रश्न एवं उत्तर (ड.)	(ड)	(ड.)
ता.प्र.सं. 07 (क्र. 275) शीर्षक	पूरक पोषण आहार आपूर्ति	पूरक पोषण आहार की आपूर्ति
ता.प्र.सं. 16 (क्र. 265) प्रश्न (घ)	नवीन भवन विभाग कब तक	नवीन भवन निर्माण कब तक
ता.प्र.सं. 19 (क्र. 260) उत्तर (ख)	उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृति किया गया	उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत किया गया
	अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अता.प्र.सं. 3 (क्र. 58) शीर्षक	प्री का किट क्रय	प्री किट का क्रय

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 10 जुलाई, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 12/07/2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-2 (क्रमांक-475) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग

"क" मे वर्णित "बस्तर जिले के अंतर्गत केलेण्डर वर्ष 2016 मे 16.06.2016 तक महारानी अस्पताल जगदलपुर मे एक डस्ट बिन मे नवजात शिशु के गिरने संबधी शिकायत प्राप्त हुई है"

के स्थान पर निम्नानुसार संशेधित उत्तर पढ़ा जावे -

"क" जगदलपुर के अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है न दर्ज है।

तथा

"ग" में वर्णित "05 माह के लिये" को **विलोपित किया जाये** ।

(अजय चंद्राकर)
मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तथा चिकित्सा शिक्षा

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 12.07.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (कमांक 484) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" में परिशिष्ट "पाँच" के सरल कमांक 3 "अन्नपूर्णा गुलाबी राशन कार्ड" के कॉलम "खाद्यान्न" में मुद्रित "36 किलो चावल"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

"35 किलो चावल"

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

पुन्नूलाल मोहले
हस्ताक्षर (मंत्री पदमान)
मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ग्रामोद्योग, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि – पत्र

दिनांक 12 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 22 (क्र. 55) उत्तर के भाग 'क' में मुद्रित तालिका के स्तंभ–6 का शीर्षक	कियान्वयन एजेंसी	क्रियान्वयन एजेंसी
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 366) शीर्षक	अनुसूचित क्षेत्र में चना	अनुसूचित क्षेत्रों में चना
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 491) परिशिष्ट "एक" / पृ.क्र. 26	तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 491) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी	तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 491) के भाग (क) से (ग) की जानकारी
तां.प्र.सं. 9 (क्र. 66) परिशिष्ट "चार" / वर्ष 2014–15 / स्तंभ–3 / पंक्ति क्रमांक–5 / पृ.क्र. 37	6.	6.84
दिनांक 11 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 (क्र. 270) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक: 11 जुलाई, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 13.07.2016 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 623 (क्रमांक–623) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

उत्तर के भाग 'ग' में ''कुल 04 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। जप्त 41 वाहनों के राजसात के प्रकरण बनाये गये'' का लेख किया गया है ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

उत्तर के भाग 'ग' में '' किसी भी प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नही की गई है । जप्त 41 वाहनों कें राजसात के प्रकरण बनाये गये'' पढ़ा जावे ।

(महेश गागड़ा)
(महेश गागड़ा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 13.07.2016 को प्रश्नोत्त्तंर सूची के पृष्ठ कमांक 2 में मुद्रित तारांकित प्रश्न सख्या 6 (कमांक 696) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँः–

प्रश्नोंत्तर सूंची में मुद्रित उत्तर के भाग ''ख'' में ''जानकारी परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। लंबित कार्यो का ब्यौरा की जानकारी परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।''

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावेंः–

''नही। स्वीकृत राशि का समय सीमा में उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया है। समीक्षा शासन स्तर पर समय–समय पर की गई है। जानकारी परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। लंबित कार्यो का ब्यौरा की जानकारी परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।''

(अमर अग्रवाल)
मंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास

परिशिष्ट "ब"

विधानसभा प्रश्न कमांक 696 अतारांकित

रायपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के समीक्षा बैठक की जानकारी

वर्ष 2015–16

क्र	निकाय का नाम	समीक्षा दिनांक
1	न.नि.रायपुर	1) 20.07.2015 2) 12.10.2015 3) 19.01.2016
2	न.नि.बीरगांव	1) 20.07.2015 2) 12.10.2015 3) 19.01.2016
3	न.पा.तिल्दानेवरा	1) 14.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
4	न.पा.गोबरानवापारा	1) 14.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
5	न.पा.आरंग	1) 14.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
6	न.पं. अभनपुर	1) 17.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
7	न.पं.मानाकैम्प	1) 17.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
8	न.पं. खरोरा	1) 17.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016
9	न.पं.कूरा	1) 17.07.2015 2) 12.10.2015 3) 20.01.2016

12/7/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास वि.
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट "स"

विधानसभा प्रश्न कमांक 696 अतारांकित

रायपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के लंबित कार्यो की जानकारी

वर्ष 2015–16

क्र	निकाय का नाम	लंबित कार्यो का ब्यौरा (कुल संख्या)
1	न.नि.रायपुर	214
2	न.नि.बीरगांव	—
3	न.पा.तिल्दानेवरा	5
4	न.पा.गोबरानवापारा	4
5	न.पा.आरंग	3
6	न.पं.अभनपुर	2
7	न.प.खरोरा	28
8	न.पं मानाकैम्प	9
9	न.पं.कूरा	32
	कुल योग	297

12/7/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास वि
मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि – पत्र

दिनांक 13 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 10 (क्र. 678) प्रश्न (क)	थाना प्रभारी चांदो एंव अन्य पुलिस	थाना प्रभारी चांदो एवं अन्य पुलिस
ता.प्र.स. 12 (क्र. 639) प्रश्न (ख), (ग)	फेसिंग	फेंसिंग
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 6) प्रश्न	योजना है ? हां तो	योजना है ? यदि हां तो
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–6(क्र–696) से संबंधित परिशिष्ट ''चार'' के प्रपत्र–''अ'' में मुद्रित जानकारी के शीर्षक ''रायपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों '' के पश्चात् उप शीर्षक के रूप में ''नगर निगम रायपुर'' प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे।		
प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक–58 में मुद्रित तालिका (शीर्षक छोड़कर) को पृ.क्र. 59 में प्रतिस्थापित कर तथा पृ.क्र. 59 में मुद्रित तालिका एवं टीप (शीर्षक एवं प्रपत्र–अ छोड़कर) को पृ.क्र. 58 में प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे।		

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक: 12 जुलाई, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि – पत्र

दिनांक 14 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 1010) उत्तर (ख)	जानकारी जानकारी	जानकारी
ता.प्र.सं. 4 (क्र. 317) शीर्षक	कृषकों हेतु **खाद** बीज का	कृषकों हेतु बीज का
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 834) शीर्षक	सुरजपूर जिले के किसानों को	**सुरजपुर** जिले के किसानों को
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अ.ता.प्र.सं. 41 (क्र. 841) शीर्षक	सुरजपूर जिले में मछुआवारा समूह	सुरजपूर जिले में **मछुआरा** समूह
तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट		
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 803)/परिशिष्ट "आठ"/पृ.क्र–66/प्रपत्र–द के स्तंभ–2 में अंकित सूजपुर के सम्मुख स्तंभ–3 में	[illegible]	1633

रायपुर
दिनांकः 13 जुलाई, 2016

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने के प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15.07.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (कमांक–836) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ख' से संबंधित प्रपत्र 'ब' के सरल कमांक 14 पृष्ठ सं. 40 में उल्लेखित- टीप ''एस.ई.सी.एल. द्वारा संधारित किया जाता है तथा इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु शासन के पत्र कमांक 1386/634/टी.एस./19/2016/बी, नया रायपुर दिनांक 12/4/2016 के द्वारा एस.ई.सी.एल. के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है''।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

'एस.ई.सी.एल. द्वारा संधारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एस.ई.सी.एल. से राशि प्राप्त कर दुग्गा खदान से नयापारा चौक तक चौड़ीकरण/मजबूतीकरण कार्य कराने के लिए शासन द्वारा दिनांक 12/4/2016 को अनुमति दी गई है'' पढ़ा जावें।

राजेश मूणत
(राजेश मूणत)
मंत्री
लोक निर्माण, आवास
एवं पर्यावरण, परिवहन
छत्तीसगढ़ शासन
प्रभारी मंत्री
जिला-दुर्ग/राजनांदगांव/कबीरधाम

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने के प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15.07.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 02 *में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या* 04 *(कमांक–807) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–*

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' 'ख' एवं 'ग' से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्थान पर पुनरीक्षित परिशिष्ट "अ" पढ़ा जावे।

(राजेश मूणत)
मंत्री
लोक निर्माण विभाग

राजेश मूणत
मंत्री
लोक निर्माण, आवास
एवं पर्यावरण, परिवहन,
छत्तीसगढ़ शासन
प्रभारी मंत्री
--दुर्ग/राजनांदगांव/कबीरधाम

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने के प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15.07.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक ...03... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ..08 (कमांक–187) के उत्तर के भाग 'ख' एवं 'ग' से संबंधित परिशिष्ट में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित परिशिष्ट "अ" के स्थान पर संलग्न पुनरीक्षित परिशिष्ट "अ" पढ़ा जावें।

राजेश मूणत
(राजेश मूणत)
मंत्री
लोक निर्माण, आवास
एवं पर्यावरण, परिवहन
लोक निर्माण विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
प्रभारी मंत्री
-दुर्ग/राजनांदगांव/कबीरधाम

पुनरीक्षित परिशिष्ट – 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं0– 187, माननीय श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य विधानसभा।

शासकीय भवनों के रखरखाव एवं संधारण तथा नवीन भवन निर्माण की जानकारी

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/अपूर्ण	टीप
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2014–15						
नवीन भवन कार्य						
1	महाविद्यालय भवन	जिला कांकेर के दुर्गूकोन्दल में महाविद्यालय भवन का निर्माण (कार्य वर्ष 2014–15)	213.15	81.500	प्रगति	समयावधि शेष।
2	शास.उ.मा.विद्यालय भवन गोलकुम्हडा	जिला कांकेर वि.ख. चारामा के गोलकुम्हड़ा में शा.उ.मा. वि.भवन का निर्माण कार्य	95.35	68.630	प्रगति	दि0 31.03.2016 से अपूर्ण।
3	शास.हाई स्कूल भवन मरकाटोला	ग्राम मरकाटोला वि.ख.चारामा में शासकीय हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य।	49.75	47.770	पूर्ण	
4	पशु औषधालय भवन	कच्चे में पशु औषधालय भवन का निर्माण।	10.60	0.000	अप्रारंभ	
5	पशु चिकित्सालय भवन	दुर्गकोंदल में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण।	13.40	0.000	प्रगति	समयावधि शेष।
6	पशु औषधालय भवन	चिखली में पशु औषधालय भवन का निर्माण।	10.60	0.000	अप्रारंभ	
		योग 06 कार्य	392.85	197.90	01 पूर्ण 03 प्रगति 02 अप्रारंभ	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण / प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
रखरखाव एवं संधारण						
1	ए–टाईप – 1 नग	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई,पेंटींग का कार्य।	32.00 लाख संयुक्त	0.316	पूर्ण	
2	ई–टाईप – 4 नग			1.572	पूर्ण	
3	एफ–टाईप – 12 नग			1.890	पूर्ण	
4	जी–टाईप – 20 नग			1.307	पूर्ण	
5	एच–टाईप – 40 नग			2.079	पूर्ण	
6	आई–टाईप – 34 नग			2.359	पूर्ण	
7	कन्या आश्रम भानबेड़ा – 1 नग			0.329	पूर्ण	
8	बालक आश्रम कोरर – 1 नग			0.358	पूर्ण	
9	विश्राम गृह			1.424	पूर्ण	
10	लोक निर्माण विभाग संभागीय कार्यालय			0.494	पूर्ण	
11	न्यायालय भवन			0.063	पूर्ण	
12	हाई स्कूल भवन			0.398	पूर्ण	
13	महाविद्यालय भवन			3.016	पूर्ण	
14	पी.एम.टी. हास्टल			0.217	पूर्ण	
15	अस्पताल भवन			0.915	पूर्ण	
16	परियोजना कार्यालय			1.375	पूर्ण	
17	लोक निर्माण विभाग अनुविभागीय कार्यालय			0.956	पूर्ण	
18	पुलिस थाना भानुप्रतापपुर			0.527	पूर्ण	
19	पुलिस थाना कोरर			0.402	पूर्ण	
20	हाई स्कूल कोरर			0.386	पूर्ण	
21	हायर सेकेण्ड्री स्कूल सम्बलपुर			0.326	पूर्ण	
22	तहसील ऑफिस भानुप्रतापपुर			0.101	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण / प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
23	बालिका छात्रावास भानबेड़ा	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई,पेंटींग का कार्य।	32.00 लाख संयुक्त	0.562	पूर्ण	
24	बालक छात्रावास भानुप्रतापपुर			0.566	पूर्ण	
25	थेरेपी सेन्टर			0.157	पूर्ण	
26	स्टडी सेन्टर			0.115	पूर्ण	
27	पी.एच.सी. केंवटी			0.255	पूर्ण	
28	बालक छात्रावास कोरर			0.416	पूर्ण	
29	कन्या आश्रम बयानार			0.301	पूर्ण	
30	लेम्प्स गोदाम			0.098	पूर्ण	
31	कृषि कार्यालय			0.184	पूर्ण	
32	टी. डब्ल्यू. डी. छात्रावास			0.224	पूर्ण	
33	नाइट्रोजन प्लांट			0.183	पूर्ण	
34	बी.डी.ओ. कार्यालय			0.026	पूर्ण	
35	डी.जे. कोर्ट			0.154	पूर्ण	
36	हायर सेकेण्ड्री स्कूल सेलेगांव			0.377	पूर्ण	
37	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भीरागांव			0.286	पूर्ण	
38	हायर सेकेण्ड्री स्कूल कोरर			0.286	पूर्ण	
39	हायर सेकेण्ड्री स्कूल हाटकर्रा			0.286	पूर्ण	
40	एफ–टाईप – 3 नग			0.244	पूर्ण	
41	जी–टाईप – 8 नग			0.703	पूर्ण	
42	एच–टाईप – 7 नग			0.635	पूर्ण	
43	आई–टाईप – 15 नग			0.385	पूर्ण	
44	15 नग क्वाटर – 18 नग			0.336	पूर्ण	
45	आर. ई. एस. क्वाटर			0.269	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
46	अस्पताल भवन	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई,पेंटीग का कार्य	32.00 लाख संयुक्त	0.921	पूर्ण	
47	आयुर्वेदिक अस्पताल हाटकोंदल			1.462	पूर्ण	
48	तहसील कार्यालय			0.319	पूर्ण	
49	पी. एच. सी. दमकसा			0.130	पूर्ण	
50	पुलिस थाना			0.258	पूर्ण	
51	छात्रावास हाटकोंदल			0.193	पूर्ण	
52	आश्रम भवन दमकसा			0.350	पूर्ण	
53	'जी' टाईप आवास गृह चारामा	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में खपरा पलटाई कार्य	5.00 लाख (संयुक्त)	0.467	पूर्ण	
54	एच' टाईप आवास गृह क्र.1,2,3,4 चारामा			1.764	पूर्ण	
55	पुलिस थाना स्टाफ आवास गृह चारामा			0.981	पूर्ण	
56	हटमेन्ट क्वार्टर पी.डब्ल्यू.डी. चारामा			0.463	पूर्ण	
57	एस0आई क्वार्टर चारामा			0.326	पूर्ण	
58	सी0ई0ओ0 क्वार्टर चारामा			0.547	पूर्ण	
59	पुलिस थाना भवन चारामा			0.654	पूर्ण	
60	प्रीमेट्रिक बालक छात्रावास शाहवाड़ा	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में दीमक रोधी कार्य	5.00 लाख (संयुक्त)	2.750	पूर्ण	
61	तहसील आफिस भवन चारामा			1.037	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
62	'जी' टाईप आवास गृह चारामा	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर आवासीय भवनों में रंगाई पुताई कार्य	20.00 लाख (संयुक्त)	0.145	पूर्ण	
63	'आई' टाईप आवास गृह चारामा			0.097	पूर्ण	
64	पुलिस थाना स्टाफ आवास गृह चारामा			0.820	पूर्ण	
65	हटमेन्ट क्वार्टर पी.डब्ल्यू.डी.			0.182	पूर्ण	
66	सी0ई0ओ0 आवास गृह चारामा			0.237	पूर्ण	
67	'एच' टाईप आवास गृह चारामा			0.113	पूर्ण	
68	पटवारी आवास गृह चारामा			0.089	पूर्ण	
69	उपस्वास्थ्य केन्द्र डोकला.			0.219	पूर्ण	
70	उपस्वास्थ्य केन्द्र लखनपुरी			0.219	पूर्ण	
71	आ.ई.एस. टाईप आवास गृह 8 नग चारामा			0.673	पूर्ण	
72	पुलिस कान्सटेबल आवास गृह चारामा			0.120	पूर्ण	
73	एच टाईप आवास गृह क्र 2,3 चारामा			0.234	पूर्ण	
74	सिंगल कान्सटेबल आवास गृह 2 नग चारामा			0.246	पूर्ण	
75	हेड कान्सटेबल आवास गृह चारामा			0.089	पूर्ण	
76	तहसीलदार आवास गृह चारामा			0.186	पूर्ण	
77	जी.ए.डी. आवास गृह 2 नग चारामा			0.267	पूर्ण	
78	ब्लाक क्वार्टर जी–1 एच–1 आवास गृह चारामा			0.224	पूर्ण	
79	एच टाईप आवास गृह क्र 4 , 5 चारामा			0.214	पूर्ण	
80	ब्लाक आवास गृह एच–6 चारामा			0.083	पूर्ण	
81	एच टाईप आवास गृह क्र 7 , 8 चारामा			0.213	पूर्ण	
82	पटवारी क्वार्टर डोकला			0.087	पूर्ण	
83	हास्पीटल कालोनी चारामा			0.657	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण / प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
84	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चारामा	अनुविभाग चारामां अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में रंगाई पुताई कार्य	20.00 लाख (संयुक्त)	0.866	पूर्ण	
85	बी.ई.ओ आफिस चारामा			0.238	पूर्ण	
86	शासकीय महाविद्यालय भवन चारामा			0.980	पूर्ण	
87	हाई स्कूल भवन गिरहोला			0.278	पूर्ण	
88	हाई स्कूल भवन कुरूटोला			0.278	पूर्ण	
89	बालक हाई स्कूल भवन चारामा			0.218	पूर्ण	
90	बालक हाई स्कूल भवन चारामा ब्लाक –1			0.218	पूर्ण	
91	बालक हाई स्कूल भवन चारामा ब्लाक–2			0.218	पूर्ण	
92	पुलिस थाना भवन चारामा			0.076	पूर्ण	
93	महाविद्यालय भवन चारामा का चहार दिवारी			0.367	पूर्ण	
94	उप कोषालय भवन चारामा			0.086	पूर्ण	
95	वेटनरी हास्पीटल चारामा			0.196	पूर्ण	
96	ब्लाक आफिस चारामा			0.348	पूर्ण	
97	पुराना पी.एच.सी. भवन चारामा			0.098	पूर्ण	
98	चारामा हायर सकेन्ड्री स्कूल भवन में साईस लेब			0.068	पूर्ण	
99	मीडिल स्कूल चारामा			0.183	पूर्ण	
100	प्रींसिपल आफिस चारामा			0.284	पूर्ण	
101	हाई स्कूल भवन पुरी			0.264	पूर्ण	
102	हाई स्कूल भवन तारसगांव			0.257	पूर्ण	
103	तहसील कार्यालय भवन	तहसील कार्यालय भवन भानुप्रतापपुर में नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य।	5.00	4.500	पूर्ण	
		योग– 103 कार्य	,67.00	55.915	103 पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2015–16						
नवीन भवन कार्य						
1	सिविल न्यायालय	सिविल न्यायालय भानुप्रतापपुर में न्यायिक लॉक–ऑफ रूम का निर्माण	23.30	15.910	पूर्ण	
2	हाई स्कूल कन्या चिचगांव	हाई स्कूल कन्या चिचगांव	73.73	0.000	अप्रारंभ	—
3	उ0मा0शाला भानबेड़ा	उ0मा0शाला भानबेड़ा	95.35	0.000	अप्रारंभ	—
4	ग्राम कोटतरा वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	ग्राम कोटतरा वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	95.35	0.000	अप्रारंभ	
5	ग्राम तारसगांव वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	ग्राम तारसगांव वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	95.35	0.000	अप्रारंभ	
6	ग्राम कोटेला वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	ग्राम कोटेला वि.ख. चारामा में शास.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	95.35	0.000	अप्रारंभ	
7	स्कील डेव्हलपमेंट सेन्टर	स्कील डेव्हलपमेंट सेन्टर भानुप्रतापपुर में शौचालय निर्माण एवं वाटर सप्लाई सेनटरी फिटिंग का कार्य।	3.02	0.000	पूर्ण।	
8	शास0उ0मा0विद्यालय सेलेगांव	शास0उ0मा0विद्यालय सेलेगांव में प्रथम तल का विस्तार कार्य।	24.58	9.500	प्रगति	दि0 06.03.2016 से अपूर्ण।
		योग– 08 कार्य	506.03	25.410	02 पूर्ण 01 प्रगति 05 अप्रारंभ	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण / प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
रखरखाव एवं संधारण						
1	ए–टाईप – 1 नग	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	28.50 लाख (संयुक्त)	0.031	पूर्ण	
2	बी–टाईप – 1 नग			0.031	पूर्ण	
3	ई–टाईप – 4 नग			0.267	पूर्ण	
4	एफ–टाईप – 12 नग			0.635	पूर्ण	
5	जी–टाईप – 7 नग			0.258	पूर्ण	
6	एच–टाईप – 20 नग			0.294	पूर्ण	
7	आई–टाईप – 5 नग			0.075	पूर्ण	
8	न्यायालय भवन			0.165	पूर्ण	
9	पशु चिकित्सालय			0.009	पूर्ण	
10	हाई स्कूल			0.318	पूर्ण	
11	तहसील कार्यालय	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	28.50 लाख (संयुक्त)	0.273	पूर्ण	
12	बी0ई0ओ0 कार्यालय			0.014	पूर्ण	
13	नाईट्रोजन प्लांट			0.088	पूर्ण	
14	लो. नि. वि. अनुविभाग कार्यालय			0.132	पूर्ण	
15	लिंक कोर्ट			0.026	पूर्ण	
16	पुलिस कार्यालय			0.052	पूर्ण	
17	महाविद्यालय भवन,छात्रावास एवं अतिरिक्त कक्ष			2.586	पूर्ण	
18	परियोजना कार्यालय			0.020	पूर्ण	
19	पुराना बी0डी0ओ0 कार्यालय			0.046	पूर्ण	
20	लो. नि. वि. संभागीय कार्यालय			0.403	पूर्ण	
21	थेरेपी सेंटर			0.014	पूर्ण	
22	कृषि कार्यालय			0.875	पूर्ण	
23	लेंपस गोडाउन			0.043	पूर्ण	
24	विश्राम गृह			0.618	पूर्ण	
25	रिकार्ड रूम			0.085	पूर्ण	
26	बार रूम			0.143	पूर्ण	
27	आई.टी.आई. भवन			1.211	पूर्ण	
28	लोक निर्माण विभाग गोडाउन			0.039	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/प्रगति	टीप
1	2	3	4	5	6	7
29	एफ–टाईप	साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य	28.50 लाख (संयुक्त)	0.146	पूर्ण	
30	जी–टाईप			0.560	पूर्ण	
31	एच–टाईप			0.226	पूर्ण	
32	आई–टाईप			0.211	पूर्ण	
33	आर. ई. एस.			0.227	पूर्ण	
34	तहसील कार्यालय			0.720	पूर्ण	
35	पुलिस, थाना			0.359	पूर्ण	
36	पुराना अस्पताल भवन			0.997	पूर्ण	
37	हाई स्कूल भवन भीरागांव			0.849	पूर्ण	
38	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केंवटी			0.333	पूर्ण	
39	जी, एच टाईप आवास गृह चारामा	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में खपरा पलटाई कार्य	10.00 लाख (संयुक्त)	0.285	पूर्ण	
40	एच–1 टाईप आवास गृह चारामा			0.243	पूर्ण	
41	एच–2, एच–3 आवास गृह चारामा			0.495	पूर्ण	
42	एच–4, एच–5 टाईप आवास गृह चारामा			0.683	पूर्ण	
43	एच–6, एच–7 आवास गृह चारामा			0.763	पूर्ण	
44	पुलिस थाना स्टाफ क्वार्टर			1.240	पूर्ण	
45	हटमेन्ट क्वार्टर पी.डब्ल्यू.डी. चारामा			0.470	पूर्ण	
46	हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन चारामा			3.401	पूर्ण	
47	बालक हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन चारामा ब्लाक–1			0.457	पूर्ण	
48	बालक हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन चारामा ब्लाक–2			0.432	पूर्ण	
49	बालक हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन चारामा ब्लाक–3			0.354	पूर्ण	
50	पुलिस थाना स्टाफ आवास गृह चारामा			1.146	पूर्ण	

सरल क्रमांक	शासकीय भवनों का नाम	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (रू0लाखमें)	व्यय की गई राशि (रू0लाखमें)	पूर्ण/प्रगति	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
51	स्वान विभाग का कम्पूयंटर रूम चारामा	विकास खण्ड चारामा स्थित स्वान सेंटर का विशेष मरम्मत कार्य	1.02	0.000	प्रगति	
52	जी टाईप आवास गृह का विशेष मरम्मत	चारामा अनुविभाग अंतर्गत जी टाईप क्वाटर नं. 01 का विशेष मरम्मत कार्य	0.45	0.000	प्रगति	दि0 05.05.2016 से अपूर्ण।
53	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में रंगाई पुताई कार्य	अनुविभाग चारामा अंतर्गत शास. आवासगृहों व गैर अवासीय भवनों में रंगाई-पुताई कार्य	15.00	0.000	प्रगति	
54	तहसील कार्यालय भानुप्रतापपुर	तहसील कार्यालय भानुप्रतापपुर के रिकार्ड रूम का रेनिवेशन का कार्य।	4.75	4.000	पूर्ण	
55	स्वान सेंट्र	वि0खं0 मुख्यालय भानुप्रतापपुर में स्वान सेंटर का मरम्मत कार्य(सिविल एवं इलेक्ट्रिफिकेशन)	1.69	0.000	अप्रारंभ	
56	स्वान सेंटर	वि0खं0 मुख्यालय दुर्गकोंदल में स्वान सेंटर का मरम्मत कार्य(सिविल एवं इलेक्ट्रिफिकेशन)	1.70	0.000	अप्रारंभ	
		योग– 56 कार्य	63.11	27.347	51 पूर्ण 03 प्रगति 02 अप्रारंभ	
वर्ष 2016–17 (मई 2016 तक)						
नवीन भवन कार्य						
1	आई.टी.आई. भवन	जिला कांकेर के दुर्गूकोंदल में नवीन आई.टी.आई. भवन निर्माण कार्य।	207.27	0.000	अप्रारंभ	
2	आई.टी.आई. छात्रावास भवन	जिला कांकेर के दुर्गूकोंदल में छात्रावास भवन का निर्माण कार्य।	105.43	0.000	अप्रारंभ	
		योग– 02 कार्य	312.70	0.000	02 अप्रारंभ	
रखरखाव एवं संधारण						
1		निरंक				

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

दिनांक 15 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. 04 (क्र. 807) प्रश्न (क)	लोक निर्माण द्वारा वर्ष	.लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष
ता.प्र.सं. 04 (क्र. 807) प्रश्न (ख)	निविदाकारों एवं अधिकारियो	निविदाकारों एवं अधिकारियों
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 596) शीर्षक	महाविद्यालयों स्वीकृत/रिक्त पद	महाविद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद
ता.प्र.सं. 15 (क्र. 801) शीर्षक	छात्र-छात्रओं को लैपटॉप	छात्र-छात्राओं को लैपटॉप
ता.प्र.सं. 19 (क्र. 826) उत्तर (क)	युवक-युवतियों को प्रशिक्षण किया गया	युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया
ता.प्र.सं. 20 (क्र. 155) शीर्षक	साइड सोल्डर स्वीकृत कार्य	साइड सोल्डर के स्वीकृत कार्य
ता.प्र.सं. 21 (क्र. 1025) शीर्षक	युवाओं के चयनन का आधार	युवाओं के चयन का आधार
ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1020) प्रश्न	कितने भवनों, सड़क तथा	कितने भवनों, सड़कों तथा
	अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अता.प्र.सं. 31 (क्र. 809) प्रश्न/उत्तर (ड.)	(ड)	(ड.)
अता.प्र.सं. 31 (क्र. 809) प्रश्न/उत्तर (ड.)	नहीं किया सकता तथा	नहीं किया **जा** सकता तथा
अता.प्र.सं. 44 (क्र. 993) शीर्षक	पुलगांव चौक दुर्ग से	फुलगांव चौक दुर्ग से

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक: 14 जुलाई 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नो के उत्तर में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 18 जुलाई 2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न सरल क्रमांक 2 (क्रमांक 1142) के उत्तर के भाग (क) एवं (ख) से संबंधित प्रपत्र "ब" में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित प्रपत्र "ब" (पृष्ठ 40) के सरल क्रमांक 7 के कालम 4 में मुद्रित

"जल विद्युत उत्पादन हेतु जल संसाधन विभाग से आवश्यकता अनुसार बांध से जल उपलब्ध कराने पर चारों इकाईयों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है।"

के स्थान पर

"जल विद्युत उत्पादन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार बांध से जल उपलब्ध कराने पर दोनों इकाईयों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है।"

पढ़ा जावे ।

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
भारसाधक मंत्री, ऊर्जा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 18 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 01 (क्र. 1085) उत्तर (घ)	अंत्येष्टि एंव अनुग्रह राशि	अंत्येष्टि **एवं** अनुग्रह राशि
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 37)	श्री अनिला भेड़िया	**श्रीमती** अनिला भेड़िया
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 189) शीर्षक	गौण खनिज हेतु प्रदत्त	गौण खनिज **खनन** हेतु प्रदत्त
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 21(क्र. 736) उत्तर	कुल 100 बसहाटें विद्युतविहीन	कुल 100 **बसाहटें** विद्युतविहीन

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 01 (क्र.1085) परिशिष्ट "एक" / प्रपत्र–ब / विकासखण्ड–बेरला / 2016–17 मई, 2016 / स्तंभ "राशि" / पंक्ति "योग" / पृ.क्र. 35	84044.2	8464472
ता.प्र.सं. 3 (क्र. 741) परिशिष्ट "तीन" / पृ.क्र. 42	तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 741) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी	तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 741) के भाग **(क) से (ग)** की जानकारी
ता.प्र.सं. 12 (क्र. 37) परिशिष्ट "आठ" / पृ.क्र. 56 / शीर्षक	बालोद जिला खनिज संसाीन न्यास अंतर्गत	बालोद जिला खनिज **संस्थान** न्यास अंतर्गत
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 770) परिशिष्ट "नौ" / पृ.क्र. 59 / योग	[illegible]	2580000
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 770) परिशिष्ट "नौ" / पृ.क्र. 59 / कुल योग	[illegible]	3975000

दिनांक 15 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–1 (क्र. 12) का तथा दिनांक 18 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 (क्र–1042) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–26(क्र–1147) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांकः 17 जुलाई, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **19 जुलाई, 2016** को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **04** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **11** (तारांकित प्रश्न क्रमांक – **1066**) में,

मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर ''ग'' में **''निर्मित शौचालय की बकाया प्रोत्साहन** राशि का भुगतान केन्द्र सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा।'' के स्थान पर **''निर्मित शौचालय के उपयोग सत्यापित होने पर बकाया** प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा ।'' पढ़ा जावें ।

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 19.07.2016 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 5 एवं 67 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–14 (कमांक–1076) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:–

''क'' में वर्णित संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार :–

एनएचएम अंतर्गत प्रदाय किये गये राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	आबंटित राशि (रू. लाख में)		
	राज्य (40%)	केन्द्र (60%)	कुल राशि
2013-14	565.79	848.69	1414.48
2014-15	833.27	1249.91	2083.18
2015-16	1132.86	1699.29	2832.15
2016-17 (मई-16)	274.80	412.20	687.00
योग	**2806.72**	**4210.09**	**7016.81**

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित परिशिष्ट ''दस'' प्रपत्र ''अ'' पढ़ा जावे :–

वर्ष	प्रतिशत		आबंटित राशि (रू. लाख में)		
	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	कुल राशि
2013-14	25	75	353.62	1060.86	1414.48
2014-15	25	75	520.80	1562.39	2083.19
2015-16	40	60	1134.86	1702.29	2837.15
2016-17 (मई -16)	40	60	274.80	412.20	687.00
योग			**2284.08**	**4737.74**	**7021.82**

(अजय चन्द्राकर)
मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
तथा चिकित्सा शिक्षा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

दिनांक 19 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 1 (क्र. 1034) प्रश्न (क)	कार्यरत **पद** एवं रिक्त पदों	कार्यरत एवं रिक्त पदों
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 1108) उत्तर (ख)	एफआईआर दर्ज कराया गयी	एफआईआर दर्ज **करायी** गयी
ता.प्र.सं. 9 (क्र. 47) प्रश्न (ग)	शिकायत प्राप्त है	शिकायत प्राप्त **हुई** है
ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1076) प्रश्न (ग)	राशि से कितना राशि में	राशि से **कितनी** राशि में
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 1154) उत्तर (क)	राशि रूपये 20,475 लाख	राशि रूपये **20.475** लाख
अतारांकित प्रश्नोत्तर		
अता.प्र.सं. 38 (क्र. 1079) उत्तर	श्री अजय चन्द्रकार	श्री अजय **चन्द्राकर**

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 04 (क्र. 840) परिशिष्ट "दो" / प्रपत्र–"अ" / पृ.क्र.41	में अंकित तालिका के स्तंभ 1 से 5 तक के शीर्षक को निम्नांकित अनुसार प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे				
	क्र	मिल का नाम	मिलर का नाम	तहसील	गॉव
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–14 (क्र–1076) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट "दस" के प्रपत्र "ब" की विकासखण्डवार मदवार व्यय तालिका 2013–14 रू. लाख में **(पृ.क्र.–68)**, 2014–15 **(पृ.क्र.–69)** तथा 2016–17 मई, 2016 तक **(पृ.क्र–73)** की अंकित तालिका के स्तंभ **"(मद) कार्य का नाम" में प्रथम पंक्ति के पूर्व नवीन पंक्ति में "मातृत्व स्वास्थ्य (जे.एस.वाय एवं जे.एस.एस.के)" प्रतिस्थापित कर एवं उसके सम्मुख के समस्त स्तंभ में व्यय को "–" अंकित कर पढा जावे।**

दिनांक 19 जुलाई, 2016 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–12 (क्र–669) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांकः 18 जुलाई, 2016

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—127—11/2016—160.